वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

2025
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियाँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

No. 3/12/2007-ई.I

Dated 12.08.2026 13

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To

सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रमुख

विषय: सीएसआईआर के सामान्य संवर्ग अधिकारियों (CCOs) के बाह्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन उचित माध्यम से अग्रेषित किए जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषयक तथा इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.02.2017, 04.01.2018 एवं 30.07.2018 (जिनकी वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई तथा अंतिम बार दिनांक 01.08.2022 के पत्र द्वारा बढ़ाई गई) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो सामान्य संवर्ग अधिकारियों (CCOs) के बाह्य रोजगार हेतु आवेदन अग्रेषित किए जाने से संबंधित हैं।

2. सामान्य संवर्ग अधिकारियों (CCOs) को बाह्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति के पदों हेतु उचित माध्यम से आवेदन करने की अनुमति प्रदान किए जाने के विषय पर विचार किया जा रहा था। अधिकारियों को विविध प्रशासनिक एवं व्यावसायिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराने तथा साथ ही यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि सीएसआईआर के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, महानिदेशक, सीएसआईआर ने सामान्य संवर्ग अधिकारियों (ग्रुप 'A' एवं ग्रुप 'B' दोनों) के बाह्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन उचित माध्यम से अग्रेषित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

(i) किसी संवर्ग/ग्रेड के ऐसे अधिकारियों की संख्या, जिन्हें किसी भी समय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति दी जा सकती है, उस संवर्ग/ग्रेड की स्वीकृत पदसंख्या के 10% से अधिक नहीं होगी। उक्त 10% की गणना निकटतम पूर्णांक तक round off करके की जाएगी।

(ii) प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन केवल उपर्युक्त उप-पैरा (i) में निर्धारित सीमा के भीतर ही अग्रेषित किए जाएंगे तथा इसके लिए निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा: -
(क) संबंधित संवर्ग/ग्रेड में विद्यमान रिक्तियां; तथा
(ख) संबंधित संवर्ग/ग्रेड के वे अधिकारी जो पहले से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

(iii) तदनुसार, यदि किसी संवर्ग/ग्रेड में विद्यमान रिक्तियों की संख्या अनुमेय प्रतिनियुक्ति सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक है, तो उस संवर्ग/ग्रेड से प्रतिनियुक्ति हेतु कोई अतिरिक्त आवेदन अग्रेषित नहीं किया जाएगा।

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788
Website : http://www.csir.res.in

(iv) प्रतिनियुक्ति से संबंधित सभी मामलों, जिनमें प्रतिनियुक्ति भत्ता, कार्यकाल, वेतन निर्धारण, कार्यभार ग्रहण करने हेतु समय तथा अन्य सेवा शर्तें शामिल हैं, का विनियमन समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) तथा सीएसआईआर द्वारा जारी प्रचलित निर्देशों के अनुसार किया जाता रहेगा।

3. **उदाहरण:** उपर्युक्त पैरा 2 (i & ii) के प्रयोजनार्थ, स्वीकृत पदसंख्या के 10% को निकटतम पूर्णांक तक round off किया जाएगा। अर्थात् 0.5 से कम भिन्न (जैसे 0.4 अथवा उससे कम) की गणना नहीं की जाएगी, जबकि 0.5 अथवा उससे अधिक भिन्न को एक पूर्ण संख्या माना जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी संवर्ग की स्वीकृत पदसंख्या 15 है, तो उसका 10% = 1.5 होगा, जिसे राउंड ऑफ करके 2 माना जाएगा। अर्थात् उस संवर्ग के 2 अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति दी जा सकेगी। इस व्यवस्था को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है:-

संवर्ग/ग्रेड की स्वीकृत पदसंख्या	स्वीकृत पदसंख्या का 10%	प्रतिनियुक्ति सीमा (निकटतम पूर्णांक)	कार्यरत कार्मिक (Men-in-Position)	अग्रेषित किए जा सकने वाले प्रतिनियुक्ति आवेदन
15	1.5	2 (0.5 या उससे अधिक को एक 1 माना जाएगा	15	2
7	0.7	1 (0.5 या उससे अधिक को एक 1 माना जाएगा	7	1
4	0.4	0 (0.4 या उससे कम को 0 माना जाएगा)	4	शून्य
254	25.4	25 (0.4 या उससे कम को 0 माना जाएगा)	217	शून्य (संवर्ग में विद्यमान रिक्तियां अनुमेय प्रतिनियुक्ति सीमा से अधिक हैं)

4. यह निर्देश सीएसआईआर मुख्यालय में **01.09.2026** अथवा उसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर प्रभावी होंगे तथा अगले आदेश तक लागू रहेंगे। इस नीति की समीक्षा इसके कार्यान्वयन के एक वर्ष पश्चात की जाएगी।

5. बाह्य संगठनों में प्रत्यक्ष भर्ती के पदों हेतु सामान्य संवर्ग अधिकारियों के आवेदन अग्रेषित किए जाने संबंधी वर्तमान निर्देश यथावत प्रभावी रहेंगे तथा इन निर्देशों से अप्रभावित रहेंगे।

6. यह महानिदेशक, सीएसआईआर के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

15/08/26

(सुनील कुमार)
उप सचिव

प्रतिलिपि:

1. महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय।
2. अपर सचिव/वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय।
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर का कार्यालय।
4. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर का कार्यालय।
5. विधि सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय।
6. सी.एस.आई.आर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के व. उप सचिव/व. प्रशासन नियंत्रक/उप सचिव/प्रशासन नियंत्रक
7. प्रमुख, आईटी प्रभाग – सीएसआईआर वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
8. कार्यालय प्रति।